

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
जसकीरत सिंह बनाम संदीप सिंह आदि

किरम मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 09 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/174

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| तामिल हुकम | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
|------------|--|---|

06.05.2025

प्रार्थी जसकीरत सिंह पुत्र संदीप सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अमरजीत कौर पत्नी संदीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 12 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 12 एच की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 129/62 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.860 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

२९/०९/२५

भाज यह पत्रावली पेशी में ली गई प्रार्थी का प्राचन पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्राचन पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीति होकर नम्बर से कम होकर वापिस दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)